पत्रांक-वा०अनु०/2023-24/ 792 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, गौतमबुद्धनगर, जोन-नोएडा।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उ०प्र०

(वाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 8 सितम्बर, 2023

महोदय,

अपर आयुक्त ग्रेड-1 (उ०न्याय०कार्य) वाणिज्य कर, प्रयागराज के पत्र संख्या-1402 दिनांक-16/08/2023 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दिनांक-16/08/2023 को कोर्ट नं०-5 में सुनवाई के समय मा० न्यायालय द्वारा रिवीजन दाखिल करने में होने वाले विलम्ब (Delay) के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। इस सम्बन्ध में कोर्ट में उपस्थित श्री बी०के० पाण्डेय व श्री रविशंकर पाण्डेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वय द्वारा अवगत कराया गया है कि *"फील्ड के अधिकारियों से वांछित सहयोग प्राप्त न होने तथा रिवीजन दाखिल करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में प्रॉपर स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने के कारण मा. उच्च न्यायालय में विभाग का पक्ष प्रबलतापूर्वक रखने में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वय महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि फील्ड स्तर से कोई भी रिवीजन कालबाधन तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व प्राप्त कराये जाये, जिससे कि वांछित प्रक्रियात्मक कार्यवाही समय से पूर्ण कराते हुए मा. न्यायालय के समक्ष समय से रिवीजन दाखिल किया जा सके। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि Limitation Act की धारा-5 के अनुरुप ही Delay के सम्बन्ध में Delay के प्रतिदिवस का तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जाये। मा. न्यायालय Delay के सम्बन्ध में बहुत Particular है। यदि Delay का प्रतिदिवस तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता तो यह भी सम्भव है कि फील्ड के सम्बन्धित अधिकारी पर मा. न्यायालय द्वारा प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाये।"*

प्रकरण अत्यन्त गंभीर है तथा रिवीजन के मामलें में समयबद्धता की अपेक्षा के बावजूद विलम्ब किया जाना उचित नहीं है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि रिवीजन दाखिल करने के समस्त मामलों में समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करायी जाये तथा अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता की उपरोक्त अपेक्षा के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि रिवीजन हेतु कोई मामला विलम्बित न हो। यदि किसी मामलें में सम्बन्धित अधिकारी की लापरवाही के कारण रिवीजन विलम्ब से दाखिल किया जाना पाया जाता है अथवा मा. उच्च न्यायालय के समक्ष विलम्ब के समुचित कारण उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

यह पत्र आयुक्त वाणिज्य कर के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अपर आयुक्त (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त प्रतिलिपि

1- अपर आयुक्त ग्रेड-1 (उ०न्याय०कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज एवं अपर आयुक्त ग्रेड-2 (उ०न्याय०कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रिवीजन दाखिल करने के मामलें में समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करायी जाये तथा यदि किसी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के अनुपालनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

08/9/23

अपर आयुक्त (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12/09/23

D.C. (I.T.) 11/09/2023 3051

Additional Commissioner Gr-1,
State Tax, Prayagraj.
(High Court Works)

NATION TAX MARKET

प्रेषक,

अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य) राज्य कर,
प्रयागराज ।

सेवा में,

आयुक्त, राज्य कर,
(वाद अनुभाग)
मुख्यालय, लखनऊ ।

पत्रांक : 1402/अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य) रा0क0 प्रयागराज, : 16 अगस्त, 2023

महोदया,

विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि आज दिनांक 16.08.2023 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कोर्ट नं0–5 में सुनवाई के समय मा0 न्यायालय द्वारा रिवीजन दाखिल करने में होने वाले विलम्ब (Delay) के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। इस संबंध में कोर्ट में उपस्थित श्री बी0के0 पाण्डेय व श्री रविशंकर पाण्डेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वय द्वारा अवगत कराया गया है कि फील्ड के अधिकारियों से वांछित सहयोग प्राप्त न होने तथा रिवीजन दाखिल करने में हुए विलम्ब (Delay) के संबंध में प्रॉपर स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में विभाग का पक्ष प्रबलतापूर्वक रखने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वय महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि फील्ड स्तर से कोई भी रिवीजन कालबाधन तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व प्राप्त कराये जाएं, जिससे कि वांछित प्रक्रियात्मक कार्यवाही समय से पूर्ण कराते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष समय से रिवीजन दाखिल किया जा सके। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि Limitation Act की धारा–5 के अनुरूप ही Delay के संबंध में Delay के प्रतिदिवस का तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जाये । मा0 न्यायालय Delay के संबंध में बहुत Particular है। यदि Delay का प्रतिदिवस तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता तो यह भी सम्भव है कि फील्ड के सम्बन्धित अधिकारी पर मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाय।

अतः महोदया से अनुरोध है कि रिवीजन दाखिल करने हेतु फील्ड के अधिकारियों को उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें ताकि मा0 न्यायालय के समक्ष विभाग को किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।

भवदीय,

(आर0एस0 द्विवेदी)
अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य)
राज्य कर, प्रयागराज

2166
17/08/2023

श्री ज्योतिर्मित / श्री राम स्वरूप
J.C (वाद)